

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT  
NOTIFICATION**

**1. AGRICULTURE**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2**

**22-07-2017**

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of **“Agriculture”** may be revised with effect from 1-4-2017;

AND WHEREAS, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 5 of the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1-4-2017.

**Un-skilled workers Rs. 210/- per day or Rs. 6300/- per month.**

**NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled will be as under:--**

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001  
W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare  
Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT  
NOTIFICATION**

## **2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2**

**22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of **“Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing”** may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017;**

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred of by sub-section (2) of section 5 of the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Revised Wages</b>	
	<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>UN-SKILLED WORKERS :</b>		<b>Rupees Rupees</b>
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer	210.00	6300/-
Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or		
Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone		
Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/		
Pipelinemen /Electrical Coolie/Security Guard/Beldar		

/Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker

<b>SEMI-SKILLED WORKER:</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distemplerer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper ( 5 years and above ) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi ( 3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant	227.00	6810/-

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Carrier 1½ inch to 2 inch = Rs. 1319 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1473 per 100 cf

<b>SKILLED WORKERS :</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt.	254.17	7625/-

Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi( 8 years to above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II/Wireless Operator.

<b>HIGHLY SKILLED</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	314.50	9435/-

Clerical and non Technical Supervisory Staff				Rupees	Rupees
Bituman	Tyre	Inspector/Road	Inspector/Work	254.17	7625/-
Inspector/ Supervisor/Meter Clerk/ Irrigation Attendant/ Ferro Clerk/ Mechanical	Store Reader/ Ledger Booking Clerk/ Printer/ Driver Inspector /	Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Inspector/ Inspector /	Inspector/Work Inspector/ Inspector/ Inspector/ Inspector /		
Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.					

#### NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i)Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, require experience of little or no

independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii).Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii)Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001  
W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare  
Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2 22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Public Motor Transport**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section (2) of section 5 the Act, ibid the Governor Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

**General Staff Unskilled                      Rs.210 /- per day, Rs.6300/- per month**

(a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri

(b) Workshop Staff (Unskilled)

Workshop Mazdoor without having any experience

**Rs. 210/- per day, Rs. 6300/- per month**

**Semi-skilled                                      Rs.220.17 per day, Rs.6605/- per month**

1. Asstt. Electrician

2. Asstt. Mechanic

3. Asstt. Fitter



4. Asstt. Black Smith
5. Asst. Carpenter
6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt. Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

**SKILLED:**

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 246.52 per day or  
Rs. 7396/- per month.

**HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:**

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 280.50 per day or  
Rs. 8415/- per month.

## **GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:**

### **Group-A**

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 246.52 per day or  
Rs. 7396/-per month.

### **Group-B**

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Rs.262.52 per day or  
Rs.7876/- per month.

### **Group-C**

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs.321.25 per day or  
Rs. 9638/-per month.

## **RUNNING STAFF**

### **Per Day Per month**

1.Driver	Rs.284.12 Rs. 8524/-
2.Conductor	Rs.253.60 Rs. 7608/-
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs.233.12 Rs. 6994/-
4.Part-Time Booking Clerk	Rs.103.72 Rs. 3112/-

## **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be

paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i). Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv).Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab.& Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001  
W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare  
Copies.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2 22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Category of employees</b>	<b>Where no benefit is provided</b>	<b>Where food, tea &amp; combined accommodation provided</b>
<b>Un skilled</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other	Rs.210/-Daily   Rs.6300/- Monthly.	Rs 184.47 Daily   Rs. 5534/- Monthly

worker doing unskilled job.

<b>Semi-Skilled</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi, Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter, Bearer), Assistant Radio Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man. Enquiry Attendent/ Telephone Attendent, ITI Certificate Holder.	Rs.225.55 Daily. Rs. 6767/- Monthly.	Rs. 199.12 Daily Rs.6000/- Monthly
<b>Skilled:</b>	<b>Rupees.</b>	<b>Rupees.</b>
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/ Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/ Cinema Operator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/ Barber/Regular machine man/ machinist / Welder/Moulder/Cashier/ Clerk/(Matric) Munim /receptionist/ Waiter/ Bearer/) / Storekeeper/ headwaiter /Head	Rs.254.17 Daily. Rs. 7625/- Monthly.	Rs. 228.37 Daily Rs.6851/- Monthly.

bearer (Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who are working in the same trade.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head	Rs.267.12 Daily.	Rs. 242.40 daily
Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs. 8014/- Monthly	Rs.7272/- Monthly

#### NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

#### **The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of

the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001  
W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare  
Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672



**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-PartIII dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**5. FORESTRY INDUSTRIES**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2**

**22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
<b>UNSKILLED WORKERS</b>		
<b>1 Felling of trees:</b>	Rs.210.00	Rs.6300/-
1.Lopper (Changi)	Rs.225.55	Rs.6767/-
2.Feller (Garani)	Rs.216.12	Rs.6484/-
<b>2 Logging and sawing including timber passing:</b>		

1.Dresser (Panchani)	Rs.216.12	Rs.6484/-
2.Sawyer (Charani)	Rs.280.50	Rs.8415/-
3.Blacksmith		
	Rs.259.40	Rs.7782/-

### **3 Carriage stacking and timber passing by manual labour:**

1. Mazdoor for carriage	Rs.216.12	Rs.6484/-
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs.216.12	Rs.6484/-

### **4 Carriage of timber by Aerial ropeways :**

1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.280.50	Rs.8415/-
2.Span Mistry	Rs.259.40	Rs. 7782/-

### **5 Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), Nullah Bhaan Darya Bahaan (River floting):**

1. Mohri-wala Mistry	Rs.305.15	Rs.9155/-
2. Taru	Rs.290.27	Rs.8708/-
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.267.12	Rs.8014/-
4. Darya-man	Rs.290.27	Rs.8708/-
5. Ghalu	Rs.237.17	Rs.7115/-
6. Jamadar	Rs.237.17	Rs.7115/-

### **6 Mechanised logging and timber extraction:**

1.Surveyor	Rs.282.57	Rs.8477/-
2.Ski-line Operator	Rs.259.40	Rs.7782/-
3 Truck Driver	Rs.239.30	Rs.7179/-
4. Compressor Driver	Rs.239.30	Rs.7179/-

### **7 Clerical Staff:**

1.Manager	Rs.335.12	Rs.10054/-
2.Accountant	Rs.243.97	Rs.7319/-

3.Munshi/ Typist clerk	Rs.216.12	Rs.6484/-
------------------------	-----------	-----------

### **8. Saw Mill Workers:**

1.Band Saw Mistry	Rs.259.40	Rs.7782/-
2.Supervisor	Rs.256.29	Rs.7689/-
3.Head Mistry	Rs.259.40	Rs. 7782/-
4.Boiler Driver	Rs.259.40	Rs.7782/-
5.Assistant Mistry	Rs.220.17	Rs.6605/-
6.Planner Mistry	Rs. 220.17	Rs.6605/-
7.Helper	Rs.216.12	Rs. 6484/-
8.Cutter man	Rs. 216.12	Rs. 6484/-

### **9 Katha Extraction:**

1.Feller and Chipper	Rs.216.12	Rs. 6484/-
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.215.55	Rs.6467/-

### **Highly Skilled**

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs.314.50. Daily.  
Rs.9435.00 Monthly.

#### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be

paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P., Shimla-2.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh-2.

8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001  
W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare  
Copies.

9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10.Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2 22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of **“Chemical & Chemical Products”** may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017;**

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Revised minimum rates</b>
----------------------------	------------------------------

**Unskilled**

Rs. 210.00 Daily.

Rs. 6300/- Monthly.

**Semi Skilled**

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Rs. 218.47 Daily.

Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Rs. 6554/- Monthly.

Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith,

Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant ,

Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board

Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller/Empular, Hageman. ITI Certificate Holder.

### **Skilled**

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Rs. 254.17 Daily.  
Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Rs. 7625/- Monthly.  
Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.

### **Highly Skilled**

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman Rs. 314.50 Daily.  
Rs. 9435/- Monthly.

### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribe Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.



7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

8. Labour Commissioner-cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001  
w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare  
Copies.

9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10.Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**7. ENGINEERING INDUSTRIES**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2**

**22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of **“Engineering Industries”** may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017;**

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW THEREFORE, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

**Un-Skilled**

Rs.210.00.  
Daily.Rs.6300/-  
Monthly.

**Semi skilled**

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Rs. 218.47 Daily.  
Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Rs.6554/-  
Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Monthly.  
Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III,  
Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler

Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III,

Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame

Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

### **Skilled**

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs.254.17  
Daily.Rs.7625/-  
Monthly

### **Highly Skilled**

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker

Rs. 314.50 Daily.  
Rs.9435/-  
Monthly.

Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter

Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

### **Clerical Staff**

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper	Rs. 230.02 Daily.
	Rs.6901/- Monthly.

### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribel Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i)Un Skilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii)Semi -skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab.& Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**8. TEA PLANTATION**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2**

**22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Revised Minimum Wages</b>
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hocking ,pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 210.00 Daily or Rs. 6300/- Monthly.

**A-Grade Leaves** -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 72/-Paise Per KG Rs. 15.20 per kilogram extra as incentive.

**B Grade Leaves** If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 60/-Paise Per KG Rs.15.20 11.80 per kilogram extra as incentive.

**C-Grade Leaves-** If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 60/-Paise Per KG Rs 8.52 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 15.20, Rs. 11.80 Rs. 8.52 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

**SEMI-SKILLED:** Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs.214.56 per day, Rs.6437/- per month

#### **FACTORY:**

Include lift Mazdoor withering Mazdoor,	Rs. 210-00 daily
relling room workers, shifting Mazdoor,	Rs. 6300/- Monthly.
Fermenting room workers, tea boys,	
sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)	

#### **PLANTATION:**

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant,	Rs. 210-00 daily
Muharirs etc. who maintain records of a field work	Rs. 6300/- Monthly.
and also includes sweeper, Mali & Mate.	

### **CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF**

#### **OFFICE STAFF:**

1. Accountant	Rs. 355.22	Rs.10,657/- per month plus free accommodation
2. Clerks	Rs. 254.17	Rs.7625/- per month plus free accommodation
3. Munshi	Rs. 269.53	Rs.8086/- per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs.214.57	Rs.6437/- per month plus free benefit as admissible.

**Daily**

**Monthly**

5. Compounder	Rs.324.27	Rs.9728/-
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs.284.12	Rs.8524/-
7. Mechanic ,	Rs.327.40	Rs.9822/-
8. Assistant Mechanic	Rs.282.57	Rs.8477/-
9. Electrician-cum- Mechanic , Grade-I	Rs.327.40	Rs. 9822/-
10.Electrician-cum- Mechanic , Grade-II	Rs.282.57	Rs.8477/-

#### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.  
Chief Secretary to the Govt. of H.P.Shimla-2
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.



6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001  
w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare  
Copies.

9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10.Guard File.

(Ved Prakash)

Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING  
PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF  
SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III Dated Shimla-2 22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Un-skilled Workers</b>	<b>Rs. 210.00 per day or Rs. 6300/- per month</b>
<b>Semi-skilled</b>	<b>Rs. 218.47 P.D. or Rs. 6554/- per month</b>
<b>Skilled &amp; clerical staff</b>	<b>Rs. 254.17 P.D. or Rs. 7625/- per month</b>
<b>Highly-Skilled</b>	<b>Rs. 314.50 P.D. or Rs. 9435/- per month</b>

**NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribe Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P..
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001  
W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare  
Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**10. HOTEL AND RESTAURANTS**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part-III**

**Dated Shimla-2**

**22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hotel and Restaurants**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
<b>UN-SKILLED:</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room	Rs. 210-00 Daily	Rs 184.47 Daily

Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/	Rs. 6300.00 Monthly	Rs.5534/- Monthly
------------------------------------	---------------------	-------------------

Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.

**SEMI-SKILLED WORKER:**

**Rupees**

**Rupees**

Pantryman /Coffee-Tea Maker/	Rs. 225.55 Daily	Rs 200.11
Chapatiman / Assistant		
Baker/Cook/ Assistant	Rs. 6767/- Monthly	6003/- Monthly.
Halwai/Book Binder/ Sticher		
/Ruling Cutting/ Auctioners /Mali		
/Hotel Guide /Assistant Mistry/		
Assistant Fitter/ Sewerman/		
Assistant Turner /Assistant		
Welder/ Assistant Electrician/		
Assistant Salesman/ Assistant		
Barber/ Dhobi,		
Pressman/Boilerman/Film		
Rewinder/ Water Bearer /Assistant		
Radio Mechanic/ Painter/ White		
Washer/ Pakora and Chana		
Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant		
Store Keeper/Distributor and		
Assistant Machinman. Enquiry		
Attendant, Telephone Attendant. ITI		
certificate holder who are working in		
the other trade .		

**SKILLED WORKERS :**

**Rupees.**

**Rupees.**

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/	Rs. 254.17 Daily	Rs.228.37 Daily
Baker/Steward/Butler/Draughtsma		
n/TelephoneOperator/Receptionist/	Rs.7625/- Monthly.	Rs. 6851/- Monthly.
Waiter/Bearer/Store Keeper/Head		
Waiter/Head Bearer (Western Style		

Hotel.) ITI certificate holder who are working in the same trade.

<b>Highly Skilled</b>	<b>Rupees.</b>	<b>Rupees.</b>
Store Keeper/ Clerks (Graduates)	Rs. 267.12 Daily	Rs. 242.40
Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs.8014/- Monthly.	7244/- Monthly.

#### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of

the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672



**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES**

**No.Shram (A)4-8/2006-Part\_III**

**Dated Shimla-2 22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Un-skilled Workers</b>	<b>Rs. 210.00 per day or Rs. 6300/- per month</b>
<b>Semi-skilled</b>	<b>Rs. 225.55 P.D. or Rs. 6767/- per month</b>
<b>Skilled</b>	<b>Rs. 254.17 P.D. or Rs. 7625/- per month</b>
<b>Highly skilled</b>	<b>Rs. 267.12 P.D. or Rs. 8014/- per month</b>

**NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

## 12. Hydro Power Projects

**No. Shram (A) 4-8/2006-Part-III      Dated Shimla-2                      22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Minimum Wages</b>	
	<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
<b>UN-SKILLED WORKERS :</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto	210.00	6300/-

Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to

Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman / Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

#### **SEMI-SKILLED WORKER:**

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office

227.00 6810/-

Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Electrician, Mali

#### **SKILLED WORKERS :**

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, 254.17 7625/-  
 Batching Plant Operator, Crushing Operator,  
 Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne  
 Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator,  
 JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambu  
 Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller,  
 Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster,  
 Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason,  
 Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC  
 Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector,  
 Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(  
 Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator,  
 Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor,  
 Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator,  
 Garroting Pump Operator, Mortar Binder, Data Entry  
 Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,  
 Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years  
 Experience), Dhobi.

#### **HIGHLY SKILLED**

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant 314.50 9435/-  
 Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper  
 Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior  
 Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine  
 Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader  
 Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter,  
 Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith,  
 Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto  
 Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior

Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

#### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i)Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii).Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii)Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017**  
Copy for information and necessary action to:-

1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. Chief Secretary to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
8. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
9. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
10. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10 Guard File

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672



**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**13. Pharmaceuticals' Industries**

**No.Shram (A) 4-8/2006-III Dated Shimla-2**

**22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of **"Pharmaceuticals' Industries"** may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017;**

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
<b>Unskilled</b> Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs.210.00	Rs.6300/-
<b>Semi Skilled</b>		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint	Rs.218.47	Rs. 6554/-

Attendant.

### **Skilled**

Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Rs. 254.17 Rs. 7625/-  
Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor,  
Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,  
Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.

**Highly Skilled:-** Sales Officer, Sales Executive, Sales Rs. 314.50 Rs. 9435/-  
Promotion Employee, Medical and Sales  
Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc.  
Chemist, M.Sc. Chemist, Stenographer.

### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics**

**No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III      Dated Shimla-2      22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of **“Hospitals/Nursing Homes & Clinics”** may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Category of employees</b>	<b>Where no benefit is provided</b>	<b>Where food, tea &amp; combined accommodation provided</b>
<b>Un skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Helper, Cleaner, Chowkidar/Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy, Ward Boy, Masalchi.	210.00  6300/- Monthly.	184.47Daily.  5534/- Monthly

<b>Semi-Skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Tec	225.55 Daily.	199.12 Daily.
Security Guard, Sweeper, Operation		
Assistant, Assistant Storekeeper, Assistan	6767/- Monthly	5974/- Monthly.
Munshi, Complaint Attendant.		

<b>Skilled:</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Receptionist, Pharmacist, Compounder,	254.17 Daily.	228.37 Daily
Laboratory Technician, X-Ray Technician,		
ANM, Trained Dai, Electrician, Radio	7625.00 Monthly	6851/- Monthly.
Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room		
Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant		
Operator, Heating Plant Controller Assistant,		
Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre		
Technician, Eye Refractionist, Storekeeper,		
Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator,		
Data Entry Operator, Cashier, Fitter,		
Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi.		

<b>Highly Skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior	267.12 Daily.	242.40 daily
Electrician, Senior Technician, Senior		
Radiographer, Senior Compounder.	8014/-	7272/- Monthly.
Accountant, Stenographer	Monthly	

#### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. to the Chief Secretary to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
8. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
9. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
10. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
11. Guard File

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**15. Domestic Workers**

**No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III      Dated Shimla-2                      22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Category of employees</b>	<b>Where no benefit is provided</b>	<b>Where food, tea &amp; combined accommodation provided</b>
<b>Un skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman,	210.00 Daily	156.00 Daily.
Washer man	6300.00 Monthly.	4680/- Monthly.



<b>Semi-Skilled</b>	<b>Rs</b>	<b>Rs</b>
Security Guard, Mali	225.55 Daily. 6767/-Monthly	166.88 Daily5006/- Monthly.
<b>Skilled:</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Cook, Driver	254.17 Daily. 7625/- Monthly	186.92 Daily 5608/- Monthly.

#### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

#### **The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

## **16. Safai Karamchari Employment**

**No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III      Dated Shimla-2                      22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND, WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Category of Workers</b>			<b>Minimum Wages</b>	
			<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
<b>Unskilled:-</b>	Sweeper/Safai	Karamchari,	Rs. 210.00	Rs.6300/-
	Beldar, Cartman,			
<b>Semi Skilled</b>				
	Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant		Rs.218.47	Rs. 6554/-
	Storekeeper, Assistant Store Munshi,			
	Complaint Attendant.			

**Skilled**

Rs 254.17

Rs. 7625/-

Driver, Mason, Plumber,  
Storekeeper, Accounts Clerk, Computer  
Operator, Data Entry Operator, Cashier.

**Highly Skilled**

Jr. Engineer, Sanitary Inspector, Rs. 314.50 Rs. 9435/-  
Stenographer,

**NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of

the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017**  
Copy for information and necessary action to:-

1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pra  
Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**17. Security Services**

**No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III      Dated Shimla-2      22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

<b>Un-Skilled</b>	<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
Helper, Watchman	Rs. 210.00.	Rs.6300/-
<b>Semi skilled</b>		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 218.47	Rs.6554/-
<b>Skilled</b>		
Security Supervisor, Head Watchman,	Rs. 254.17	Rs.7625/-

Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.

### Highly Skilled

Security Officer, Security Manager, Steno Rs.314.50 Rs.9435/-  
Accountant.

### NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices Shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Skilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the

occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii)Semi -skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii)Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab.& Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister,H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated23-05-2017 with 10 spare Copies.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal  
Phone No. 0177-2620672



**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**18. Temples and Religious Places/Dharamshalas**

**No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III      Dated Shimla-2      22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of **“Temples and Religious Places/Dharamshalas”** may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017;**

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of employees</b>	<b>Where no benefit is provided</b>	<b>Where food, tea &amp; combined accommodation provided</b>
<b>Un skilled</b>	<b>Rs</b>	<b>Rs</b>
Peon, Masalchi, Office Boy, Beldar.	210.00 Daily	184.47 Daily
	6300.00 Monthly	5534/- Monthly.

<b>Semi-Skilled</b>	<b>Rs</b>	<b>Rs</b>
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior	225.55 Daily	199.12 Daily
Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	6767/- Monthly	5974/- Monthly

<b>Skilled:</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	254.17 Daily 7625/-Monthly	228.37 Daily 6851/-Monthly

<b>Highly Skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan, Singer, Stenographer, Accountant.	267.12 Daily. 8014/- Monthly	242.40 daily 7272/- Monthly.

#### **NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9 All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10 Guard File.

(Ved Prakash)

Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

Phone No. 0177-2620672

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH**  
**DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

## NOTIFICATION

## 19. Workers Working in Toll Tax Barriers

**No. Shram (A) 4-8/2006-Part-III      Dated Shimla      22-07-2017**

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of **“Workers Working in Toll Tax Barriers”** may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1<sup>st</sup> April, 2017**;

AND HHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1<sup>st</sup> April, 2017** as under:-

	<b>Minimum Daily</b>	<b>Wages Monthly</b>
<b>Un-skilled Workers :-</b> Peon, Office Boy, Masalchi.	Rs.210.00	Rs. 6300/-
<b>Semi-skilled:-</b> Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard, Complaint Attendant.	Rs. 218.47	Rs. 6554/-
<b>Skilled:-</b> Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 254.17	Rs. 7625/-

**Highly-Skilled:-**

Supervisor,	Superintendent,	Rs. 314.50	Rs. 9435/-
Stenographer,			
Accountant.			

**NOTE**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices Shall be regulated under the Apprenticeship Act 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and

comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9 All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10 Guard File.

(Ved Prakash)  
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2620672

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना  
कृषि

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कृषि" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में, कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार : 210/- रुपए प्रतिदिन या 6300/- रुपए प्रतिमास

टिप्पण:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. हिमाचल प्रदेश में जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: -

अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है।  
अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23-05-2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
फोन न0 0177-2620672



हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
1.	2	3
अकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
<u>भिशाती/चिमनी</u> <u>क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेंपरर</u> <u>ग्रेड- II/</u> गलेजियर /पलम्बर या-वर्कशाप हैल्पर/रॉक कटिंग लेबर/स्टोन <u>ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/</u> बिटुमन के लिए स्प्रे <u>मैन/पाइप</u> लाईन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ ट्रैक्टर / रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर का क्लीनर / मजदूर सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्परज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल ) /खलासी ( 0 से 3 साल ) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।	210.00	6300.00
अर्धकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड-II/ मैसन ग्रेड-- II / <u>स्यूअर</u> मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड-II / सैनिटरी फिटर ग्रेड-- II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ केन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ ( बोट मैन ) / केन-मैन / डिस्टेंपरर ग्रेड-I /फिटर ग्रेड-II फलोर-पालिशर	227.00	6810.00

/ स्टोन ड्रेसर / माली / बैल-सिंकर / वाइट-वाशर / वर्कशाप मैकेनिक  
 ग्रेड— II , टर्नर-ग्रेड— II / पाइप फिटर ग्रेड— II / ब्रिक मोल्डर /  
 सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक  
 टर्नर / बैटरी चार्जर / ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी) / हैमरमैन/कुक /  
 वल्कनाईज़र/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रॉली आपरेटर / एटैन्डेंट  
 (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेंट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन /  
 हैल्पर (5 साल और अधिक )/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट /  
 हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी ( 3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रेसर  
 / पम्प-एटैन्डेंट /ऑटो इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गेज-रीडर  
 / सहायक लैव एटैन्डेंट /ऑटो इलैक्ट्रिशियन/ मोटर-मेट / इनक्वाअरी  
 एटैन्डेंट / टेलीफोन एटैन्डेंट ।

स्टोन-ड्रेसर / स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-कैरियर

1-1/2"से2इंच

रुपए 1319.00 घन फुट

1 से 1/4" इंच रुपए 1473.00

प्रति घन फुट

कुशल कामगार:

रु. पै.

रु. पै.

कारपेन्टर ग्रेड-I/मैसन ग्रेड-I/ब्लैक स्मिथ /सेनेटरी फिटर ग्रेड-I  
 /अप-होलसल्टर ग्रेड-I/ सहायक पम्प ऑपरेटर / पम्प ऑपरेटर / पम्प  
 ड्राइवर / चार्जमैनग्रेड.-II/जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड-II/ कॉम्प्रेसर  
 ऑपरेटर / कॉम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड-I/दर्जी या टेलर  
 ग्रेड-II / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर  
 ग्रेड-I/पाइप फिटर ग्रेड-I/ऑटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर  
 ड्राइवर / मिक्सर-आपरेटर /संरचानात्मक फिटर ग्रेड-II/ वर्कशाप  
 फिटर/ जनरेटर ऑपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर /  
 डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कृषिग प्लांट फिटर / बी.  
 प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर  
 / शेपर / ऑटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रिजरेटर प्लांट फिटर  
 / ट्रेक्टर-आपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर  
 ऑपरेटर / रोकलेन ऑपरेटर /सक्रेपर-आपरेटर /लोडर ऑपरेटर /  
 क्रेन-ऑपरेटर / युक्लिड-ऑपरेटर/वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग-आपरेटर  
 / एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर/ (बी.) प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट  
 ऑपरेटर या वैलडर /गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ /टिन स्मिथ /  
 ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार /  
 वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर /बिन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर  
 /क्लाइमबर / मोल्डर /लेबलरज सॉ मिल कटर/केबल जवाइन्टर/  
 फोरमैन ग्रेड—II /खलासी ( 8 साल से अधिक ) / ट्रेसर ऑपरेटर /  
 ई.एम.ई. / ड्राइवर / कमप्रेसर/ रॉकर शावल ऑपरेटर / स्नो कटर  
 ऑपरेटर / लोको-ऑपरेटर गलेजड टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन /  
 वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक /  
 डी.जी.सेट ऑपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—II वायरलैस ऑपरेटर

254.17

7625.00

उच्च कुशल:

केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I/ चार्ज मैन ग्रेड- I/ वर्कशाप फोरमैन ग्रेड- I/ टर्नर ग्रेड- I/मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- I / सर्वेयर / ड्राफ्ट्स-मैन / सहायक फोरमैन / मकैनिक / कम्पाउन्डर (अर्हित ) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / आटो इलैक्ट्रीशियन/ इलैक्ट्रीशियन / कैमिकल एनालाइजर ।

रु०. पै०

314.50

रु०. पै०

9435.00

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

बिटुमैन टायर इन्सपेक्टर / रोड इन्सपेक्टर / वर्क इन्सपेक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैरो-प्रिंटर / ड्राइवर ( जीप/ कार/ट्रेक्टर ) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपेक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।

रुपए

254.17

रुपए

7625.00

टिप्पण:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी ।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी । जनजातीय क्षेत्रों में निमाणधीन हाइड्रो इलैक्टिक जल विद्युत परियोजनाओं में कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी । अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111 तारीख शिमला -2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23-05-2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
फोन न0 0177.2620672

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना  
3- मोटर परिवहन

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006-पार्ट-111](#)

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **लोक मोटर परिवहन** के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2016** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.4.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल सामान्य कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर, दफ्तरी /	रुपए 210 /-प्रतिदिन	रुपए 6300 /-प्रतिमास
(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल ) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।	रुपए 210 /-प्रतिदिन	रुपए 6300 /-प्रतिमास
अर्ध-कुशल	रुपए 220.17 प्रतिदिन	रुपए 6605 /-प्रतिमास
1. सहायक इलैक्ट्रीशियन		
2. सहायक मकैनिक		
3. सहायक फिटर		
4. सहायक ब्लैक स्मिथ		
5. सहायक कारपेंटर		
6. सहायक वैल्डर		
7. सहायक टर्नर		
8. सहायक बोरिंग बारमैन		
9. सहायक मशीनिस्ट		
10. सहायक कुशन-मेकर		

11. सहायक बोलकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रीशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई का  
सर्टिफिकेट हो या दो वर्ष का प्रोवेशन पीरियड हो,या  
जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो ।
19. सहायक मोल्डर ।

#### कुशल:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, रु 246.52 प्रतिदिन  
मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वॉलकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, रु.7396.00  
टायरमैन, स्प्रे पेंटर, , इलैक्ट्रीशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, प्रतिमास  
वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या का प्रोवेशन  
पीरियड हो दो वर्षों का जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो या ।  
आई.टी.आई .सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।  
उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ:

हैड मकैनिक, कॉरबोरेटर/ हैड इलैक्ट्रीशियन / गैरेज रु0 280.50 प्रतिदिन  
सुपर वाइजर । रु. 8415..00  
प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

#### ग्रुप –ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे रु0 246.52 प्रतिदिन  
बुक राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क ( रिस्टोरर ), लैजर रु. 7396.00  
कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट । प्रतिमास

#### ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चौकर, आशुलिपिक ए ग्रेड / रु0 262.52 प्रतिदिन  
स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, रु. 7876.00  
टायर-निरीक्षक । प्रतिमास

#### ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टेंट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर । रु0 321.25 प्रतिदिन  
रु. 9638.00  
प्रतिमास

#### रनिंग-स्टाफ:

1 ड्राइवर	रु0 284.12 प्रतिदिन
	रु. 8524.00 प्रतिमास
2 कन्डक्टर	रु0 253.60 प्रतिदिन
	रु. 7608.00 प्रतिमास
3 क्लीनर कम कन्डक्टर	रु0 233.12 प्रतिदिन
	रु .6994.00 प्रतिमास
4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क	रु0 103.72 प्रतिदिन
	रु. 3112.00 प्रतिमास

टिप्पण:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके।

वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
फोन न0 0177.2620672



हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक स्थापन

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला -2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि दुकानों एवं वाणिज्य स्थापनों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और  
उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास, सुविधा  
गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार /	रुपए 210.00 दैनिक	रुपए 184.47 दैनिक
चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची	रुपए 6300.00 मासिक	रुपए 5534.00 मासिक
/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर /		
मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मसेंजर /		
क्लाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर/भिस्ती / बेलदार		
/ फायरमैन /		
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो		
अकुशल कार्य कर रहा हो ।		

**अर्धकुशल:** हैडपोर्टर / पैटरीमैन / काफी  
टीमेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर  
/ गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन /  
सहायक -आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट  
बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / एसिस्टेंट-हल  
वाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-कटिंग  
औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल-गाईड  
/ सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर /  
सहायक-टर्नर / सहायक-वैल्डर  
सहायक-इलैक्ट्रीशियन / सहायक-सेल्जमैन  
/ सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन /  
ब्वायलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर / वेटर /  
वीयरर / एसिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर  
/ वाईट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर /  
कलर्क / (नॉन मेट्रिक) सहायक स्टोर कीपर /  
डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन / इनक्वाअरि  
एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट 'आई.टी.आई'  
प्रमाण पत्र / (सर्टिफिकेट) धारक ।

225.55 प्रतिदिन तथा 6767.00 रु. प्रतिमाह  
199.12 प्रतिदिन तथा 6000.00रु. प्रतिमाह

### कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टीनस्मिथ / वाचमेकर /  
रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर /  
ड्राइवर / सहायक टेलर / कटर (टेलरिंग) /  
जनरल मकैनिक / हलवाई कुक / कन्फैक्शनर  
/ बेकर / स्टुवार्ड / बटलर / फिटर /  
ड्राफ्ट्समैन / टेलीफोन-ओपरेटर /  
कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल  
कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा  
आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / डायर  
/ बारबर / रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट /  
वैल्डर / मोल्डर / कौशियर / क्लर्क (मैट्रिक) /  
मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वियरर  
स्टोर-कीपर / हैड वेटर / हैड-वीयरर  
(वेस्टरन स्टाइल होटल) / लाइनमैन  
आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड  
में कार्य कर रहे हों ।

रुपए 254.17 दैनिक रुपए 228.37 दैनिक  
रुपए 7625.00 मासिक रुपए 6851.00 मासिक

### उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / लेखाकार	267.12 दैनिक	242.40 दैनिक
/ मुख्य खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर	8014.00 मासिक	7272.00 मासिक
/ हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर		
/ हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन		
/ सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग ) ।		

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,  
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006-पार्ट-111](#)

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न00177-2620672

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

5. वानिकी उद्योग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनो में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग		संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार			
1	वृक्षों का गिराना	रुपए 210.00	रुपए 6300.00
	1. लोपर (छांगी)	रुपए 225.55	रुपए 6767.00
	2. फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
2	टिम्बर पासिंग सहित लॉगिंग एण्ड स्वाईंग		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 280.50	रुपए 8415.00
	3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
3	मैन्युअल लेबर द्वारा कैरेज, स्टेकिंग एण्ड टिम्बर पासिंग		
	1. कैरेज के लिए मजदूर		
	2. टिम्बर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मजदूर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
		रुपए 216.12	रुपए 6484.00
4	एरियल रोप वेज द्वारा टिम्बर का कैरेज ।		
	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 280.50	रुपए 8415.00

	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
5	कैरेज बाई वाटर स्लाइड (पक्की नाली) ड्राई स्लाइड : (पत्थरु) नालाबहान दरिया बहान (रीवर फलोटींग)		
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 305.15	रुपए 9155.00
	2. तारु	रुपए 290.27	रुपए 8708.00
	3. एसिसटेंट मिस्त्री (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 267.12	रुपए 8014.00
	4. दरियामैन	रुपए 290.27	रुपए 8708.00
	5. घालू	रुपए 237.17	रुपए 7115 .00
	6. जमादार	रुपए 227.17	रुपए 7115.00
6	मकैनाइजड लोगिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैक्शन:		
	1. सर्वेयर	रुपए 282.57	रुपए 8477.00
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 239.30	रुपए 7179.00
	4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 239.30	रुपए 7179.00
7	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 335.12	रुपए 10054.00
	2. एकाउन्टेंट	रुपए 243.97	रुपए 7319.00
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
8	सॉ मिल वर्कर :		
	1.बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
	2.सुपरवाइजर	रुपए 256.29	रुपए 7689.00
	3.हैड मिस्त्री	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
	4.वायलर ड्राइवर	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
	5.एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 220.17	रुपए 6605.00
	6.पलेनर मिस्त्री	रुपए 220.17	रुपए 6605.00
	7.हैल्पर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
	8.कटर मैन	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
9	कत्था एक्सट्रैक्शन :		
	1. फैलर तथा चिपर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
	2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रौसेसर	रुपए 215.55	रुपए 6467.00

### उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी),  
ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 314.50 दैनिक रुपए 9435.00 मासिक

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:—

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न0 0177.2620672



हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

6.रसायन एवं रसायनिक उत्पाद

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111 तारीख : शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2016- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनो में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें	
	दैनिक	मासिक
अकुशल:	रुपए	रुपए
	210.00	6300.00
अर्धकुशल:	दैनिक	मासिक
	रुपए	
एसिसटेंट इलेक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कलटीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलटमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-I, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर कम मार्किट सैलर अम्पुलर, हैगमैन. आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	218.47	रुपए 6554.00
कुशल:	दैनिक	मासिक

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट रूपए 7625.00  
 आपरेटर मैसन, कारपेंटर, एसिस्टेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट 254.17  
 ग्रेड- I, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन,  
 एसिस्टेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन,  
 रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र  
 (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।

	दैनिक	मासिक
उच्च-कुशल:		
बॉयलर एटेंडेंट (प्रथम श्रेणी), ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।	रूपए 314.50	रूपए 9435.00

#### टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006](#)-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न0 0177-2620672

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

7. इंजीनियरिंग उद्योग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2016-पार्ट-111

तारीख: शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनो में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों का वर्ग

संशोधित

न्यूनतम मजदूरी

दैनिक

मासिक

अकुशल

रूपए

रूपए

210.00

6300.00

### अर्धकुशल:

टेपर ग्रेड-III, टर्नर ग्रेड- III, ड्रिलर ग्रेड- III,रोमर ग्रेड- III, शेयर मैन ग्रेड- III, मशीनमैन,मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड- III, ब्रजर ग्रेड- III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड- III, प्रैस आपरेटर ग्रेड- III, स्प्रे पेंटर ग्रेड- III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड- III,असैम्बलर ग्रेड- III,कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड- III, मैटिरियल चैकर, फिटर फ्रेम,नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड- III, मोपर ग्रेड- III ,ग्राइंडर ग्रेड- III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड- III, थ्रैड/ रोलर आपरेटर ग्रेड- III, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- III, फीडर ग्रेड- III, डाइमेकर ग्रेड- III, बैल्डर ग्रेड- III, टिनस्मिथ ग्रेड- III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड- III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड- III,बाउचर इन्सपेक्टर ग्रेड- III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, आयलमैन।	रूपए 218.47	रूपए 6554.00
---	----------------	-----------------

### कुशल:

टेपर ग्रेड- II,टर्नर ग्रेड- II, ड्रिलर ग्रेड- II, शैपर ग्रेड- II , शैपर मैन ग्रेड- II,स्लाटरमैन ग्रेड- II, मकैनिक आपरेटर/ब्रजर ग्रेड- II,लाईनर ग्रेड- II,स्प्रे पैन्टर ग्रेड- II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड- II,प्रैस आपरेटर ग्रेड- II , असैवलर ग्रेड- II,टेलर ग्रेड- II,इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड- II, मोपर ग्रेड- II,ग्राइंडर ग्रेड- II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड- II,थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड- II,बुक स्कर्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड- II, फिटर ग्रेड- II, कारपेंटर /पैटरन मेकर ग्रेड- II, डाईमेकर ग्रेड - II, साइस्टर ग्रेड- II, वैल्डर ग्रेड- II II, टिनस्मिथ ग्रेड- II, हैमरमैन ग्रेड- II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- II, टूलसैटर ग्रेड- II, ईलैक्टरीकल लाईनमैन ग्रेड- II, ईलेक्ट्रीशन ग्रेड- II, आरमैचर वाईडर और क्वाईल वाईडर ग्रेड- II, केबल ज्वाइटर ग्रेड- II, वाऊचर इन्सपेक्टर ग्रेड- II, लिस्टर डीजल ईन्जन ड्राइवर ग्रेड- II, मोल्डर ग्रेड- II,सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।	रूपए 254.17	रूपए 7625.00
---	----------------	-----------------

### उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड- I,ग्राइडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड- I, शेपर मैन ग्रेड- I, सलाटरमैन ग्रेड- I, मिलर ग्रेड- I, इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड- I, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड- I,फिटर ग्रेड- I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड- I,डाईमेकर ग्रेड- I,एन्ग्रेवर ग्रेड- I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- I,डाईसैटर ग्रेड- I,टूल सैटर ग्रेड- I,इलैक्ट्रीशियन ग्रेड- I ।

### क्लेरिकल स्टाफ:

कौशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।	रूपए 314.50	रूपए 9435.00
	रूपए 230.02	रूपए 6901.00

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
फोन न0 0177.2620672

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006-पार्ट-111](#) तारीख : शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम  
मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़नें, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लॉपिंग) के लिए, छार्टिंग, कांट -छांट करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में नियोजित अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात ।

रूपए रूपए

210.00 दैनिक 6300.00 मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला—12 किलोग्राम से अधिक के रूप में चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 15.20 रु0 प्रतिकिलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे ।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 11.80 रु0 प्रतिकिलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 8.52 रु0 प्रति किलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे ।

पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के —'ए', 'बी' व 'सी' ग्रेड के लिए 15.20 रु0, 11.80 रु0 और 8.52 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से मिलेंगे ।

अर्द्धकुशल :



चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 214.56रु0 प्रतिदिन, 6437.00 रु0 प्रतिमास मिलेंगे ।

**कारखाना :**

रुपए 210.00 दैनिक और रुपए 6300 मासिक इसमें लिफ्ट मजदूर, विदरिंग मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला) रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, टी ब्वाएज, सार्टज, टी-मेकर्स,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

**प्लांटेशन :**

210.00 रुपए दैनिक और रुपए 6300.00 मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज आदि जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

**क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ**

**कार्यालय कर्मचारिवृन्द ऑफिश स्टाफ**

1. लेखाकार रुपए 355.22 प्रतिदिन रुपए 10,657.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
2. लिपिक रुपए 254.17 प्रतिदिन रुपए 7625.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
3. मुन्शी रुपए 269.53 प्रतिदिन रुपए 8086.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।
4. चपडासी / रुपए 214.57 प्रतिदिन रुपए 6437.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा चौकीदार / जो अनुज्ञेय हैं । चौधरी

		दैनिक	मासिक
5.	कम्पाउन्डर	रुपए 324.27	रुपए 9728.00
6.	ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर )	रुपए 284.12	रुपए 8524.00
7.	मकैनिक	रुपए 327.40	रुपए 9822.00
8.	एसिस्टेंट मकैनिक	रुपए 282.57	रुपए 8477.00
9.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - I	रुपए 327.40	रुपए 9822.00
10.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - II	रुपए 282.57	रुपए 8477.00

**टिप्पण:**

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006-पार्ट-111](#)

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न0 0177.2620672

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

9.कारखाना अधिनियम,1948 की धारा-2 के खण्ड-(ट) में यथापरिभाषित  
विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापन

संख्या: श्रम (ए) [4-8 / 2006-पार्ट-111](#) तारीख:शिमला-2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

और अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 210.00 प्रतिदिन या रुपए 6300.00 प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रुपए 218.47 प्रतिदिन या रुपए 6554.00 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रुपए 254.17 प्रतिदिन या रुपए 7625.00 प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 314.50 प्रतिदिन या रुपए 9435.00 प्रतिमास

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
फोन न0 0177-2620672

अधिसूचना

10.होटल और रैस्टोरेंट

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट -111 तारीखशिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग	जहां प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है	कोई नहीं	जहां आवास खाना,चाय आदि की प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है	संयुक्त और
अकुशल:	1.	2.	3.	

हैल्पर / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालाची- II / गेटमैन / वाटरमैन / मसंजर / क्लॉकरूम अटैंडेंट / पोटर/भिशिती / वेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामगार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।	रूपए 210.00 दैनिक	रूपए 184.47 दैनिक	
	रूपए 6300.00 मासिक	रूपए 5534.00 मासिक	

अर्ध कुशल कर्मकार:

पैंट्रीमैन / काफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईडर / सटिचर / रूलिंग / कटिंग / ऑक्शनर / माली	रूपए 225.55 दैनिक	रूपए 200.11 दैनिक	
	प्रतिदिन रूपए	रूपए 6003.00 मासिक	

/ होटल गार्ड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट 6767.00 मासिक  
 फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट  
 बैल्डर / असिस्टेंट इलैक्ट्रिशियन / असिस्टेंट  
 सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन /  
 वॉयलरमैन / फिल्म रिवाइंडर / वाटरवीअर / असिस्टेंट  
 रेडियो मकैनिक / पेंटर / वाइट वॉशर / पकौडा और  
 चना मेकर / कलर्क (नॉनमैटिक) / असिस्टेंट स्टोर  
 कीपर, असिस्टेंट डिस्टीब्यूटर और मशीनमैन /  
 इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट /  
 आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत  
 है ।

#### कुशल कर्मकार:

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / रुपए 254.17 दैनिक रुपए 228.37 दैनिक  
 बेकर / स्टीवरर्ड / बटलर / ड्राफ्ट्समैन / रुपए 7625.00 मासिक रुपए 6851.00 मासिक  
 टेलीफोन ओपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर /  
 वियरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड  
 वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल ) आई0टी0आई0  
 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / अकाउंटेंट रुपए 267.12 दैनिक रुपए 242.40 दैनिक  
 / हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर रुपए 8014.00 मासिक रुपए 7244.00 मासिक  
 / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर  
 / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन  
 / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल / अर्द्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशल: अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च—कुशल: उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न0-0177-2620672



हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2016-पार्ट-111 तारीख: शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रु0 210.00 प्रतिदिन या रु0 6300.00 प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	रु0 225.55 प्रतिदिन रु0 6767.00 प्रतिमाह
कुशल	रु0 254.17 प्रतिदिन रु0 7625.00 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रु0 267.12 प्रतिदिन रु0 8014.00 प्रतिमाह

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्तित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्म परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न0 0177-2620672

अधिसूचना

**12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के कर्मकारों अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

न्यूनतम

मजदूरी

दैनिक

मासिक

चपडासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का

रु.210.00

रु.6300.00

सहायक, पम्प अटेन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक,

प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक,

कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का

सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का

सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो

इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक,

कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक,

खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटेन्डेन्ट, जनरेटर अटेन्डेन्ट, टीएम

अटेन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन

का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोर्ट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गोज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, ईन्जन फिटर का सहायक, डीजल ईन्जन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर—कम—बेलदार, वॉशर मैन / वाशर मेड, ऑफिस वॉय, कले क्लीनर, सहायक ब्रूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मेस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

(2) अर्ध-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर,, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ऑटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिव्थोरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटेन्डेंट, जनरेटर अटेन्डेंट, लोकोमोटिव अटेन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेंट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोर्ट्री सहायक, गोज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटेन्डेंट, सहायक सरवेयर, कार्यालय अटेन्डेंट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रेपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कंप्लैट अटेन्डेंट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।	रु.227.00	रु. 6810.00
--	-----------	-------------

(3) कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनटरी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक / जम्भू ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर,	रु.254.17	रु.7625.00
---	-----------	------------

लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रीशियन, पैन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपेक्टर, सुपरवाइजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल केन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाईड्रो केन ऑपरेटर, सरवेयर, सक्केप ऑपरेटर, बोकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर,स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कर्लक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), धोबी ।

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ केन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ बेल्टर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर केन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सरे, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट,खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव)।

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम सख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मचारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
फोन न0 0177.2620672

### अधिसूचना

### 13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत कर रहे कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल:	न्यूनतम	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी (प्रयोगशाला) हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपिंग हैल्पर, चपडासी, ।	रु.210.00	रु.6300.00

(2) अर्द्ध-कुशल:-

तकनिशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेंट, ।	रु.218.47	रु.6554.00
--	-----------	------------

(3). कुशल:

आफिसर (बी फार्मा), टेकनीकल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क,	रु.254.17	रु.7625.00
--	-----------	------------



कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।

(4) उच्च कुशल:

सेल्ज आफिसर, सेल्ज एग्जीक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन एम्पलाई, रु.314.50 रु.9435.00

मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट,

बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट, स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा समनुदेशित कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं । इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा ।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके । वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया है, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न0 0177.2620672

अधिसूचना

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन,चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
--	---

(1) अकुशल:

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वाच मैन्, चपडासी,	रु.210.00 दैनिक	रु.184.47 दैनिक
रूम ब्वाय ,आफिस ब्वाय, वार्ड ब्वाय,मसालची।	रु.6300.00 मासिक	रु.5534.00 मासिक

(2) अर्ध- कुशल:

क्लीनिक अटेन्डेंट, एसीसटेन्ट लैबोरेटरी	रु.225.55 दैनिक	रु.199.12 दैनिक
तकनिशियन, सिकयोरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन	रु.6767.00 मासिक	रु.5974.00 मासिक
ऐसीस्टेन्ट, एसीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		

(3). कुशल:

रिसेप्सनिशट, फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी रु. 254.17 दैनिक रु.228.37 दैनिक  
तकनिशियन, एक्सरे तकनिशियन, एएनएम, ट्रेड रु. 7625.00 मासिक रु.6851.00मासिक  
दाई, इलैक्ट्रीशियन, रेडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर,  
एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर,  
ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर  
एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट,  
ऑपरेशन थियेटर तकनिशियन, आई  
रिफ्रैक्शनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क,  
कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर,  
फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक,धोबी ।

(4) उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ रु. 267.12 दैनिक रु.242.40 दैनिक  
इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ तकनिशियन, वरिष्ठ रेडियो रु. 8014.00 मासिक रु.7272.00 मासिक  
ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो  
ग्राफर ।

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

(ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा समनुदेशित कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया है, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006](#)-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न0 0177-2620672

## अधिसूचना

### 15. घरेलू कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय  
उपलब्ध नहीं और संयुक्त आवास  
करवाई गई है सुविधा उपलब्ध  
करवाई गई है

(1) अकुशल:-

हेल्पर, आया, कलीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।

रु. 210.00 दैनिक रु. 156.00 दैनिक  
रु. 6300 / मासिक रु. 4680.00 मासिक

(2) अर्द्ध- कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी गार्ड, माली ।

रु. 225.55 दैनिक रु. 166.88 दैनिक  
रु. 6767 / मासिक रु. 5006.00 मासिक

(3) कुशल कर्मकार :-

कुक, चालक

रु. 254.17 दैनिक रु. 186.92 मासिक  
रु. 7625.00 मासिक रु. 5608.00 मासिक

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी, उस प्रवर्ग के लिए विहित समय-दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसका विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यो के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
फोन न0 0177.2620672



अधिसूचना

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों अन्य के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
(1) अकुशल:-	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार, कार्टमैन।	रु.210.00	रु.6300.00
(2) अर्ध- कुशल:-		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेंट।	रु.218.47	रु.6554.00
(3) कुशल :-		
चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु.254.17	रु.7625.00
(4) उच्च कुशल:-		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्स्पेक्टर, स्टेनो ग्राफर,	रु.314.50	रु. 9435.00

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसका विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यो के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
फांन न0 0177-2620672

अधिसूचना17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा- (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
अकुशल:-	रु.210.00	रु.6300.00
हेल्पर, वॉच मैन ।		
अर्द्ध-कुशल:-		
सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, ।	रु.218.47	रु.6554.00
कुशल :-		
सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।	रु.254.17	रु.7625.00
उच्च कुशल :-		
सिक्योरिटी आफिसर , सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट ।	रु.314.50	रु. 9435.00

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्गों को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5, सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दरों से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6 गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित "निर्माणधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं" में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
- 7 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जन जातीय क्षेत्रों में "निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं" में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यो के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने में सक्षम है वह व्यवसाय

(ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006-पार्ट-111](#)

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन न0 0177.2620672

अधिसूचना

**18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
--	---

अकुशल :-

चपड़ासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय, बेलदार ।

रु.210.00 दैनिक

रु.184.47 दैनिक

रु.6300.00 मासिक

रु.5534.00 मासिक

अर्द्ध-कुशल :

चपाती मैन्, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट,

रु.225.55 दैनिक

रु.199.12 दैनिक

टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट,

रु.6767.00 मासिक

रु.5974.00 मासिक

सेवादार्, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसीसटेन्ट

स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट।

कुशल:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, रु.254.17 दैनिक रु. 228.37 दैनिक  
कुक, मौलवी,ग्रन्थी,पादरी,स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, रु.7625.00 मासिक रु.6851.00 मासिक  
क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,  
कैशियर ।

उच्च कुशल:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन रु.267.12 दैनिक रु.242.40 दैनिक  
गायक,स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट, रु.8014.00 मासिक रु.7272.00 मासिक

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यो के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।



(iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करने में सक्षम है। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006](#)-पार्ट-111

तारीख: शिमला-2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश),

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन नं० 0177-2620672

अधिसूचना

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकारों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2017** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2017** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल:-

चपडासी, आफिस ब्यॉय, मसालची ।

न्यूनतम  
दैनिक  
रु.210.00

मजदूरी  
मासिक  
रु.6300.00

अर्द्ध-कुशल :-

कैश कलेक्टर, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, रु.218.47  
सिक्योरिटी गार्ड, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट ।

रु.218.47

रु.6554.00

कुशल:-

इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर रु.254.17  
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।

रु.254.17

रु.7625.00

उच्च कुशल :-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट ।

रु.314.50

रु.9435.00

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी, उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यो के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल ।

(वेद प्रकाश),  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
फोन न0 0177-2620672